

**न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)****पीठासीन अधिकारी - अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 020/2022 (रसद) (GCMS 2022/324)	दायर दिनांक 14.09.2022	निर्णय दिनांक 28.10.2022
--	---------------------------	-----------------------------

**अनवान**

राजस्थान सरकार जरिये सुमन तिवारी प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

**प्रार्थी****बनाम**

कैलाश पिता चतुर्भुज जाति गुर्जर निवासी सांवलियाजी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

**विपक्षीगण**

उपस्थिति :- प्रवर्तन अधिकारी  
एक तरफा

पैरोकार सरकार  
अधिवक्ता विपक्षी

**प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6-ए सपटित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 में जल्लशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत**

**-:: निर्णय ::-**

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन अधिकारी सुमन तिवारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6-ए सपटित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जल्लशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 04.09.2022 को सांवलियाजी मेले के दृष्टिगत जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ के निर्देशानुसार सांवलिया जी स्थित सभी होटलों का सुमन तिवारी प्रवर्तन अधिकारी एवं हितेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण कुरेठा रोड स्थित काव्या भोजनालय मालिक कैलाश गुर्जर पुत्र चतुर्भुज गुर्जर की दुकान औचक निरीक्षण किया गया। भोजनालया के निरीक्षण में वहां भोजन बनाने में घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग होना पाया गया। कैलाश गुर्जर से इस संबंध में पूछताछ करने पर उन्होंने इस संबंध में कोई दस्तावेज होना स्वीकार नहीं किया गया न ही मौके पर प्रस्तुत किया गया। उक्त कार्यवाही के दौरान मौके पर सांवरिया भारत गैस एजेन्सी भदेसर को बुलाया गया। गैस एजेन्सी द्वारा पप्पू सिंह पुत्र देवी सिंह निवासी भालुण्डी को मौके पर भेजा गया। भोजनालय से 5 घरेलू गैस सिलेण्डर (14 किग्रा. क्षमता) जरिये फर्द तैयार कर कब्जे में लिये गये तथा उसे



सांवलिया भारत गैस एजेन्सी वितरक भदेसर की सुपुर्दगी में दिया गया। जिसका विवरण आवेदन अनुसार है। कैलाश गुर्जर पिता चतुर्भुज गुर्जर द्वारा घरेलू गैस का व्यापारिक उपयोग का यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है। अंत में प्रार्थना की गई कि अभिग्रहित 5 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने की कृपा करें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 28.10.2022 को विपक्षी के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से विपक्षी के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया।

इस पर हाजिर पैरोकार सरकार ने प्रकरण में बहस पत्रावली का निवेदन कर प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की। इस पर हाजिर पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली को एक तरफा सुना गया। हाजिर पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक अथवा अन्य कोई उपयोग नहीं किया जा सकता है। दिनांक 04.09.2022 को सांवलियाजी मेले के दृष्टिगत जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ के निर्देशानुसार सांवलिया जी स्थित सभी होटलों का सुमन तिवारी प्रवर्तन अधिकारी एवं हितेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण कुरेठा रोड स्थित काव्या भोजनालय मालिक कैलाश गुर्जर पुत्र चतुर्भुज गुर्जर की दुकान औचक निरीक्षण किया गया। भोजनालया के निरीक्षण में वहां भोजन बनाने में घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग होना पाया गया। कैलाश गुर्जर से इस संबंध में पूछताछ करने पर उन्होंने इस संबंध में कोई दस्तावेज होना स्वीकार नहीं किया गया न ही मौके पर प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक/अन्य उपयोग करना पाया गया जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन होने से धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त शुदा गैस सिलेण्डर मय गैस व अन्य सामग्री राजसात (Confiscate) किये जाने योग्य है। इसी ईशतदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली एक तरफा का चिंतन-मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा विपक्षी की दुकान का मुआयना करने पर मौके पर विपक्षी के कब्जे में 5 घरेलू गैस सिलेण्डर अनाधिकृत रूप से भण्डारण करना पाया गया तथा मौके पर उक्त गैस सिलेण्डरों के संबंध में वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। विपक्षी की और से किसी भी प्रकार से आवेदन का खण्डन प्रस्तुत



नहीं किया गया एवं प्रकरण में विपक्षी के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई ऐसी स्थिति में पत्रावली पर विपक्षी की ओर से किसी भी प्रकार खण्डन रिकार्ड पर नहीं है। ऐसी स्थिति में विपक्षी द्वारा गैस सिलेण्डरों से अवैध गैस रिफिलिंग कर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया, जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन एवं धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। विपक्षी द्वारा गैस सिलेण्डरों का अपनी दुकान पर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाता है। ऐसी स्थिति में विपक्षी से जब्त शुदा 5 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं जब्तशुदा सिलेण्डरों में भरी हुई कुल 15.4 Kg. गैस राजसात (Confiscate) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी प्रवर्तक निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है एवं दिनांक 04.09.2022 को प्रवर्तन अधिकारी द्वारा विपक्षी कैलाश पिता चतुर्भुज जाति गुर्जर निवासी सांवलियाजी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ से से जब्त शुदा 5 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं जब्तशुदा सिलेण्डरों में भरी हुई कुल 15.4 Kg. गैस राजसात (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी उक्त गैस सिलेण्डरों एवं अन्य सामग्री के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें। जब्तशुदा सामग्री के नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 28.10.2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया।



(अरविन्द कुमार पोसवाल)  
जिला कलक्टर  
चित्तौड़गढ़